न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 33/17

1. भम्बल
2. रामजी लाल
3. भरतू पुत्रान मांग्या जातियान मीना निवासीयान पीलौदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)
4. देवेन्द्र पुत्र बद्री जाति मीना निवासी पीलौदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)

अपीलांट

बनाम

1. रामगिलास
2. लक्ष्मीचन्द
3. रामधन
4. ठण्डी
5. घमण्डी
6. रामकुमार पुत्रान सुआ जातियान मीना निवासीयान पीलौदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली
8. धप्तो पत्नि ठण्डी
9. नारायणी पत्नि रामधन
10. नर्वदा पत्नि लक्ष्मीचंद जातियान मीना निवासीयान पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

(अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा मु0न0 10/2010 निर्णय दिनांक 19.04.2017 उनवानी भम्बल बगै0 बनाम रामगिलास बगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री नेमीचंद गर्ग एड.
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1,9,10 की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल एड.
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा एड0

21.10.19
अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 21.10.1019

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 10/2010 निर्णय दिनांक 19.04.2017 उनवानी भम्बल बगै0 बनाम रामगिलास बगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने आराजी खसरा नं0 764 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 946 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1023 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम इनायती तहसील सपोटरा जिला करौली हरला पुत्र देवीचन्द की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। हरला लाऔलाद फौत हो गया है उसकी जायदाद एवं आराजीयात के हम वादीगण 01 से 04 1/4 हिस्से के एवं वादीगण संख्या 5, 6 1/4 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है व काबिज है और इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से में मुताबिक अपनी आराजीयात को काश्त कर रहे है। हरला की आराजीयात का अन्य कोई

Scanned by CamScanner

वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 06 रामकुमार बहुत चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जाल साज कर गलत तरीके से हरला का पुत्र बताते हुए उक्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम करवा ली है जबकि प्रतिवादी संख्या 06 रामकुमार हरला का पुत्र नहीं है तथा ना ही हरला ने कभी रामकुमार को गोद लिया था। उक्त इन्द्राज की जानकारी वादीगण को दिनांक 04.03.2010 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर एवं जमाबंदी की नकल लेने पर हुई है। इससे पूर्व वादीगण को यह जानकारी नहीं थी उक्त आराजीयात पूर्व में राजस्व ग्राम इनायती में थी लेकिन अब पीलोदापुरा में आ गई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त इन्द्राज को सही कराने एवं बंटवारा कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि हमारी लाठी में दम है हम न तो इन्द्राज सही करवायेंगे और न ही बंटवारा करेगें और नही वादीगण को काश्त करने देंगे अगर प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर दिया तो वादीगण काश्त से महरूम हो जायेगें तथा वादीगण के हकूकों पर कठोर आघात होगा। इसलिए दावा पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज किये जाने से एवं अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 764 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 946 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1023 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम इनायती तहसील सपोटरा जिला करौली हरला पुत्र देवीचन्द की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। हरला लाऔलाद फौत हो गया है उसकी जायदाद एवं आराजीयात के हम वादीगण /अपीलांट एवं प्रतिववादीगण/रेस्पो0 संख्या 01 ल0 03 1/4 हिस्सा व अपीलांट संख्या 4 1/4 एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 1/2 हिस्से के हिस्सेदार है व काबिज है और इसी प्रकार अपने-अपने हिस्से में मुताबिक अपनी आराजीयात को काश्त कर रहे है। हरला की आराजीयात का अन्य कोई वारिसान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 06 रामकुमार बहुत चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जाल साज कर गलत तरीके से हरला का पुत्र बताते हुए उक्त आराजीयात की खातेदारी अपने नाम करवा ली है जबकि प्रतिवादी संख्या 06 रामकुमार हरला का पुत्र नहीं है तथा ना ही हरला ने कभी रामकुमार को गोद लिया था। उक्त इन्द्राज की जानकारी वादीगण को दिनांक 04.03.2010 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर एवं जमाबंदी की नकल लेने पर हुई है। इससे पूर्व वादीगण को यह जानकारी नहीं थी उक्त आराजीयात पूर्व में राजस्व ग्राम इनायती में थी लेकिन अब राजस्व ग्राम पीलोदापुरा में आ गई है। वोटर लिस्ट, नरेगा जॉब कार्ड में राकुमार के पिता का नाम सुआ दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है जिसका प्रतिरोध नहीं किया गया है। उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुसार अपने-अपने हिस्से के मुताबिक बटवारा कराया जाकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराया जावे तथा रेस्पोडेन्टान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे। दौराने दावा आराजी का विक्रय कर दिया है। दौरान दावा किये गए बयनामा को शून्य घोषित किया जावे। सुआ की सम्पति में भी रामकुमार का हक दर्ज हुआ है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे।

Scanned by CamScanner

जवाब में रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वाद की पलीडिंग 01 ल0 8 में खातेदार घोषित करने का कोई बिन्दु सम्मलित नहीं किया है। जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 मे नोट अंकित है कि रामकुमार के नाम दत्तक पुत्र की हैसियत से नामान्तरकरण खोला गया है। कब्जे के अनुतोष के संबंध मे गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर बयनामा शून्य घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है। जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। नामान्तरकरण 42 वर्ष पुराना है। गवाह पी डब्लू 2 रामकेश बल्द श्रीया की उम्र शपथ पत्र मे 50 वर्ष का बताया है। 29 वर्ष की उम्र मे गवाह द्वारा गोद नही लेना कहना सदेश प्रकट करता है। इस प्रकार गवाह का बयान वाद मे कोई मदद नही करता है। ऐडोप्सन एक्ट मीना जाति पर लागू नही होता है। केता ने खातेदारी व कब्जा की जानकारी के पश्चात ही भूमि क्रय की है। इसलिए रेस्पो0 संख्या 9 व 10 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष तनहा नही कर सकता है। खतोनी बन्दोवस्त जमाबंदी सम्वत 2015 ग्राम इनायती के ख0न0 764,946,1023 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 विस्वा हरला पुत्र देवीचंद मीना सा0 देह मु0 कदमी खातेदार के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 के अनुसार उपरोक्त आराजीयात हरला पुत्र देवीचंद के स्थान पर गोदनामे के आधार पर विरासत से नामा0 संख्या 59 निर्णय दिनांक1.12.68 से रामकुमार पुत्र हरला के नाम पर दर्ज की गई है। उसी अनुसार जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 मे नोट अंकित किया गया है। उक्त आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 ग्राम पीलोदापुरा रामकुमार पुत्र हरला मीना के नाम दर्ज थी लेकिन रामकुमार द्वारा उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 2.7.2010 को प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 को बेचान कर दिया जाने से नामा0 संख्या 195 निर्णय दिनांक 27.10.2010 को यह खाता प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट द्वारा 42 वर्षो के बाद गोदनामे के आधार पर दर्ज आराजीयात के संबंध मे आपत्ति उठाई गई है। जबकि उनको पूर्व से ही गोदनामे की जानकारी थी। इस प्रकार 42 वर्षो तक गोदनामे पर किसी प्रकार की आपत्ति नही उठाना से स्पष्ट है कि हरला पुत्र देवीचंद ने रामकुमार पुत्र सुआ को सामाजिक रिती रिवाज से गोद लिया था उसकी पूर्ण जानकारी एवं सहमति अपीलांट/वादीगण सहित सभी परिवार वालो को थी। समस्त राजस्व रिकार्ड रामकुमार पुत्र हरला का गोदनामे के आधार पर स्वीकृत विरासत के नामा0 के आधार पर दर्ज किया गया है। बेचान ,दान व रहन शून्य घोषित नही किया जा सकता है। रजिस्टर्ड बयनामे को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। नामान्तरकरण 48 वर्ष पुराना है गवाह pw-2 रामकेश बल्द श्रीया की उम्र शपथ पत्र साक्ष्य में 50 वर्ष का बताया है। 2 वर्ष की उम्र में गवाह द्वारा गोद नहीं लेना कहना संदेह प्रकट करता है। गवाह का बयान बाद में कोई मदद नहीं करता है। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 जनजातियों पर लागू नहीं होता है। जनजातियों पर सामाजिक व पारम्परिक रीति रिवाज व रूढियॉ ही लागू होती है। क्रेताओं ने खातेदारी व कब्जा की पूर्ण जानकारी के पश्यात् ही क्रय किया है। इसिलिए रेस्पो0 8, 9 व 10 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 के अनुसार उपरोक्त आराजीयात ख0न0 764,946,1023 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 विस्वा हरला पुत्र देवीचंद के स्थान पर गोदनामे के आधार पर विरासत से नामा0 संख्या 59 निर्णय दिनांक1.12.68 से रामकुमार पुत्र हरला के नाम पर दर्ज की गई है। उसी अनुसार जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 मे नोट अंकित किया गया है। उक्त आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 ग्राम पीलोदापुरा रामकुमार पुत्र हरला मीना के नाम दर्ज

Scanned by CamScanner

थी लेकिन रामकुमार द्वारा उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 2.7.2010 को प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 को बेचान कर दिया जाने से नामा0 संख्या 195 निर्णय दिनांक 27.10.2010 को यह खाता प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट द्वारा 42 वर्षो के बाद गोदनामे के आधार पर दर्ज आराजीयात के संबंध मे आपत्ति उठाई गई है। जबकि उनको पूर्व से ही गोदनामे की जानकारी थी। इस प्रकार 42 वर्षो तक गोदनामे पर किसी प्रकार की आपत्ति नही उठाना से स्पष्ट है कि हरला पुत्र देवीचंद ने रामकुमार पुत्र सुआ को सामाजिक रिती रिवाज से गोद लिया था उसकी पूर्ण जानकारी एवं सहमति अपीलांट/वादीगण सहित सभी परिवार वालो को थी। समस्त राजस्व रिकार्ड रामकुमार पुत्र हरला का गोदनामे के आधार पर स्वीकृत विरासत के नामा0 के आधार पर दर्ज किया गया है। बेचान ,दान व रहन शून्य घोषित नही किया जा सकता है। रजिस्टर्ड बयनामे को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 ग्राम पीलोदापुरा तहसील सपोटरा के अनुसार विवादित आराजीयात मे अपीलांट/वादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। अर्थात विवादित आराजीयात के अपीलांट/वादीगण न तो सेपरेट खातेदार है न ही सह खातेदार है। इस प्रकार उक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। वह तनकीवार पूर्ण विवेचन के साथ विस्तृत रूप से पारित किया गया है, उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मुकदमा न0 10/10 निर्णय व डिग्री दिनांक 19.4.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.10.19

(बी एल रमण)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.11 16:47:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: